भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
17-01-2020		

विविध वाद सं0–12 (S.T.) / 2019–20 / CNT–46

दुलाल नाईक, पति–स्व0 शीतल नाईक .... आवेदिका

––––––––बनाम––––––––

बिरेन नाईक, पिता–स्व0 शीतल नाईक .... क्रेता

आदेश

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदिका (विक्रेता) दुलाल नाईक, पति–स्व0 शीतल नाईक, पिता–ईश्वर नाईक, ग्राम–महुलडुंगरी, थाना–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति–''बाथुड़ी'' (अ0ज0जा0) द्वारा निम्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता बिरेन नाईक, पिता–शीतल नाईक, ग्राम–महुलडुंगरी, थाना–बहरागोड़ा, अंचल–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिहभूम, जमशेदपुर, जाति–''बाथुड़ी'' (अ0ज0जा0) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया हैं:–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
बहरागोड़ा	महुलडुंगरी	967	15	163	1.26 ए0

संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक–11 / 03 / 2019 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 26 / 03 / 2019 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के पत्रांक–342, दिनांक:–25 / 04 / 2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा आपत्ति नही दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में आवेदिका के के पिता ईश्वर नाईक एवं अन्य के नाम पर दर्ज है। आवेदिका उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा हैं। आवेदिका आवेदित जमीन को बेचना चाहती है। आवेदित भूमि आवेदिका के पिता–ईश्वर नाईक एवं अन्य के नाम पर खतियान एवं पंजी–II में दर्ज है तथा लगान भी उन्ही के नाम से काट रहा है। आवेदित भूमि से संबंधित मुखिया, ग्राम पंचायत, पाथरी का वंशावली प्राप्त है। जमीन का किस्म गोड़ा–2 है। प्रस्तावित भूमि पर किसी परियोजना में अर्जित नही हुई है तथा वन क्षेत्र से बाहर है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता है। इसके संबंध में आवेदिका द्वारा शपथ पत्र संख्या–64, दिनांक–11 / 01 / 2020 दाखिल की गई है। शेष अंशदार श्री अबनी नाईक (2) बंकु नाईक दोनो के पिता–स्व0 कामेश्वर नाईक, तथा (3) काठिया नाईक (4) भुटू नाईक दोनो के पिता–स्व0 सत्यावन नाईक, ग्राम–महुलडंगरी, थाना–

बहरागोड़ा, की ओर से अनापत्ति शपथ–पत्र संख्या–65, दिनांक–11/01/2020, एवं आंईटु नाईक (2) स्वर्ण नाईक दोनो के पिता–परमेश्वर नाईक, ग्राम–महुलडंगरी, थाना–बहरागोड़ा की ओर से अनापत्ति शपथ–पत्र संख्या–66, दिनांक–11/01/2020 दाखिल किया गया है।

आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदिका के जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता हैं। आवेदिका (विक्रेता) एवं क्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के हैं तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इसके संबंध में विक्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC/2019/984068, दिनांक–30/11/2019 तथा क्रेता की ओर से अंचल अधिकारी का कार्यालय, बहरागोड़ा द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC/2019/140459, दिनांक–09/02/2019 तथा अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC/2019/984096, दिनांक–30/11/2019 तथा आधार कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आवेदिका 1.26 एकड़ भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल–1,87,000.00/–(एक लाख सतासी हजार) रूपये में बेचना चाहती है। मूल्य तालिका के अनुसार मौजा–महुलडंगरी का कृषि योग्य भूमि का सरकारी मूल्य प्रति डीसमल 1460.00 रूपये निर्धारित है। इस प्रकार भूमि का कुल रकवा 1.26 एकड़ का विक्रय दर 1,83,960.00 रूपया होता है। तदनुसार क्रेता द्वारा विक्रेता को सरकारी दर से अधिक राशि में भूमि का बिक्री किया जा रहा है।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी बहरागोड़ा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा–महुलडुंगरी, थाना नं0–967, खाता नं0–15, प्लॉट नं0–163 कुल रकवा–1.26 एकड़ भूमि की अन्तरण हेतु आवेदिका (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता हैं कि क्रेता–बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल/कब्जा/कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वंय जिम्मेवार होगें।

c.c of last order is issued.
Sd/- 20/01/2020

लेखापित एवं संशोधित

Sd/- 17/01/2020

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।

Sd/- 17/01/2020

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।